

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/ PAUSA 21, 1937

कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08 जनवरी, 2016

का.आ. 77(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 2873 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव (ईपी-एमपी), वाणिज्य विभाग के स्थान पर सुश्री लीना नायर, अध्यक्ष, एमपीडा को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 33036/6/2008 मात्स्यिकी (टी-2)]

आदित्य कुमार जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2016

S.O. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints Ms. Leena Nair, Chairman, Marine Products Export Development Authority (MPEDA) as Member in the Coastal Aquaculture Authority in place of Shri Santosh Kumar Sarangi, Joint Secretary (EP-MP), to represent Department of Commerce for the purpose of the said Act in partial modification to the Notification No. S.O. 2873(E), dated 19th October, 2015.

[F. No. 33036/6/2008 Fy (T-2)]

ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy.